रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3230] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941
No. 3230] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2019

का.आ. 3541(अ.)—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 879(अ), दिनांक 19 अप्रैल, 2010 और का.आ. 2527(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2019 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला नई दिल्ली, पटियाला हाउस कोर्ट्स, नई दिल्ली के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2019

S.O. 3541(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 879 (E), dated the 19th April, 2010 and S.O. 2527 (E), dated the 12th July, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Delhi hereby designates the Court of District & Sessions Judge, New Delhi District, Patiala House Courts, New Delhi as the NIA Special Court for the purpose of the sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the National Capital Territory of Delhi.

[F.No. 11011/06/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2019

का.आ. 3542(अ)—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 3093(अ.), दिनांक 22 सितम्बर, 2017 और का.आ. 5393(अ.), दिनांक 25 अक्तूबर, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा अपर सत्र न्यायाधीश-03, जिला नई दिल्ली, पटियाला हाउस कोर्ट्स, नई दिल्ली के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2019

S.O. 3542(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3093 (E), dated the 22nd September, 2017 and S.O. 5393 (E), dated the 25th October, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Delhi hereby designates the Court of Additional Sessions Judge-03, New Delhi District, Patiala House Courts, New Delhi as the Additional Judge to the NIA Special Court for the purpose of the sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the National Capital Territory of Delhi.

[F.No. 11011/06/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2019

का.आ. 3543(अ)—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2874(अ.), दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 और का.आ. 3522(अ.), दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार तेलंगाना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा IV अपर महानगरीय सत्र न्यायाधीश–सह-XVIII अपर मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे तेलंगाना राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2019

S.O. 3543(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 2874 (E) dated 16th October, 2015, and S.O. 3522 (E) dated the 28th December, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court for the State of Telangana, hereby designates the Court of IV Additional Metropolitan Sessions Judge-cum-XVIII Additional Chief Judge, City Civil Court, Hyderabad as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Telangana.

[F.No. 11011/06/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2019

का.आ. 3544(अ.)—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2078(अ), दिनांक 24 मई, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार तेलंगाना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा मैट्रपालिटन सत्र न्यायाधीश–सह-I अपर जिला न्यायाधीश, जिला रंगा रेड्डी के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे तेलंगाना राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2019

S.O. 3544(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 2078 (E) dated 24th May, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court for the State of Telangana, hereby designates the Court of Metropolitan Sessions Judge-cum-I Additional District Judge, Ranga Reddy District as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Telangana.

[F.No. 11011/06/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.03 16:01:19 +05'30'